श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास- जाखू, जिला शिमला, (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-01-2013 से 31-12-2015

भाग -1

1 प्रारम्भिक

(i) श्री हनुमान जी मंदिर न्यास जाखू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-01-2013 से 31-12-2015 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2)(ग)(2) तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 के पत्र संख्या: भासनि -15/97-मन्दिर-3-3278 दिनांक 24.03.2005 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर न्यास के आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं मन्दिर अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
(क) आयुक्त		
1	श्री सुभाशीष पांडा	01.01.13 से 02.01.13 तक
2	श्री दिनेश मल्होत्रा	03.01.13 से 31.12.15 तक
(ख)सहायक आयुक्त		
1	श्री राजीव कुमार	01.01.13 से 07.01.13 तक
2	श्री ज्ञान चन्द नेगी	08.01.13 से 12.05.15 तक
3	श्री हेमिस नेगी	12.05.15 से 31.12.15 तक
(ग)मन्दिर अधिकारी		
1	श्री अनिल शर्मा	01.01.13 से 31.12.15 तक

(iii) श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास - जाखू, शिमला (हि०प्र०) के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.13 से 31.12.15 तक में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का पैरावार संक्षिप्त सार:-

क्रमांक	संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्यां	(₹) लाखों में
1	सावधिक जमा की परिपक्वता राशी से स्त्रोत पर काटे गए आयकर को वापिस प्राप्त न करना	5(ख)	1.04
2	बजट का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना मन्दिर न्यास निधि से अनियमित व्यय/भुगतान	9	204.85
3	संविदाकारों से निर्माण कार्यों बिलों से श्रमकर की कटौती नहीं करना	17	0.70
4	संविदाकारों से निर्माण कार्यों बिलों से बिक्रीकर की कटौती नहीं करने के कारण सरकारी खजाने को राजस्व की हानि	18	2.11

5	संविदाकार को अनुबंधित दर की अपेक्षा उच्च दर से भुगतान करने के कारण अधिक भुगतान	19(1) 20(3) 22(1) 23(1)	1.94 6.91 1.23 0.62
6	ठेकेदार से न्यास द्वारा अपने भंडार से आपूर्ति की गयी देवदार की लकड़ी की एवज में कम वसूली करना	19(2)	0.33
7	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व दर विश्लेषण अनुमोदित करवाए बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन करने पर संविदाकार को अनियमित भुगतान	19(3) 23(2) 25(1)	0.80 4.49 0.24
8	स्टील का गलत factor लगाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	20(2)	0.22
9	निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार देय प्रतिभूति व् आयकर की कटौती न करके संविदाकार को अवांछित लाभ पहुंचाना	22(2)	0.74
10	सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व् व्यय स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य का निष्पादन करना	27	36.64
11	आबंटित कार्य को वास्तविकता में पूर्ण किये बिना पूर्ण दर्शाना तथा शेष कार्य को दोबारा टेंडर लगाकर उच्च दरों पर भुगतान करके संविदाकार को सम्भावित अनुचित लाभ पहुंचाना	28	0.59
12	विभागीय स्तर पर मस्ट्रोल के माध्यम से करवाए गए निर्माण /मुरम्मत कार्यो का औचित्य स्पष्ट न करना	30	1.63

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवदेन

गत अंकेक्षण प्रतिवदेन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरांत नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"**" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर न्यास द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर के लेखाओं अवधि 01.01.2013 से 31.12.2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री हेमराज भारद्वाज, सहायक नियंत्रक (ले0प0) तथा श्री चेत राम ठाकुर , अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 22.07.16 से 29.08.16 तक मन्दिर न्यास के जाखू स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 06/2013, 06/2014 एवं 06/2015 तथा व्यय

की विस्तृत जांच हेतु माह 10/2013,10/2014 एवं 04/2015 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के दौरान आगामी पैरों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उतरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर के अवधि 0 1/2013 से 12/2015 तक के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ``₹``55000 बनता है। मन्दिर न्यास को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या 187 दिनांक 23.08.16 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को रेखाकिंत बैंक ड्राफट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युतर में मंदिर न्यास द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को इंडसइंड बैंक -शिमला के रेखाकिंत चैक संख्या:643525 दिनांक 24.08.16 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(1) मन्दिर के लेखाओं की अवधि 01/2013 से 12/2015 तक की वितीय स्थिति निम्नानुसार थीः-

वित्तीय	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹) में	आय/प्राप्तियां (₹) में	ब्याज	कुल योग (₹) में	व्यय (₹) में	अंतिम शेष (₹) में
2013	Main	9337507.22	5246573.00	997487.11	15581567.33	5851722.73	9729844.60
	Langar	150479.00	569647.00	9459.00	729585.00	640730.00	88855.00
	Grant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	9487986.22	5816220.00	1006946.11	16311152.33	6492452.73	9818699.60
2014	Main	9729844.60	5978712.00	885808.49	16594365.09	5968307.81	10626057.28
	Langar	88855.00	964570.00	10314.00	1063739.00	996159.00	67580.00
	Grant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	9818699.60	6943282.00	896122.49	17658104.09	6964466.81	10693637.28
2015	Main	10626057.28	6657715.00	610398.15	17894170.43	5413702.00	12480468.43
	Langar	67580.00	1497052.00	22000.00	1586632.00	614854.00	971778.00
	Grant	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00
	कुल जोड़	10693637.28	9154767.00	632398.15	20480802.43	7028556.00	13452246.43

(2) दिनांक 31/12/15 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही/ खातों (ledger accounts) के अनुसार शेष =₹**13452246.43**

(परिशिष्ट “ख“)

दिनांक 31/12/15 को विभिन्न बैंकों /सावधि जमा /हस्तगत

राशि के शेष (परिशिष्ट “ख“ (i)) =₹13462636.43

दिनांक 31-12-2015 तक चैक जारी किये लेकिन बैंक से माह 1/16 में प्रस्तुत किये गये =₹10390.00

(3) दिनांक 31-12-2015 को बैंक समाधान विवरण

(क) दिनांक 31.12.15 को अन्तः शेष का विवरण							
क्रम	**विवरण**				**रोकड़ बही अनुसार**	**बैंक पास बुक अनुसार**	**अंतर**
1	IndusInd Bank , Branch Shimla A/C No. 0185132776001				2957049.08	2967439.08	(-)10390.00
2	ICICI Bank, Branch Shimla A/C No. 635301009043				971778.00	971778.00	0.00
3	FDR's (As per detail enclosed)				9523419.35	9523419.35	0.00
	कुल जोड़				13452246.43	13462636.43	(-)10390.00
BALANCE AS PER FINANCIAL POSTION AS ON 31.12.15					13452246.43	13452246.43	
अंतर					0.00	10390.00	(-)10390.00
(ख)अंतर का कारण **दिनांक 31.12.15 को** रोकड़ बही अनुसार अन्तः शेष							2957049.08
ADD Cheques issued but not presented for Payment till 31.12.15							
बैंक का नाम	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**राशी**	**चैक भुनाने की तिथि**			
IndusInd Bank - Shimla	816065	09.12.15	940	12.01.16			
	816073	18.12.15	9450	12.01.16			
योग			10390				10390.00
दिनांक 31.12.15 को बैंक पास बुक अनुसार अन्तः शेष							2967439.08

5 निवेश

मन्दिर न्यास द्वारा सावधिक जमा योजनाओं में निवेशित राशियों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सावधि जमा निवेश पर ₹0.06 लाख के ब्याज की अतिरिक्त आय की हानि

श्री हनुमान जी मंदिर न्यास जाखू की मुख्य निधि से वर्ष 2013 से 2015 तक के दौरान सावधिक जमा में किये गये निवेश का उपलब्ध करवाए गए संबधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा शिमला को -ओपरेटिव बैंक लिमिटेड व विजया बैंक में एक ही तिथि को अलग -अलग ब्याज दर पर राशियो का निवेश किया गया था निम्न विवरण से स्पष्ट होता है कि यदि इन राशियो को उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाले विजया बैंक में निवेश किया जाता तो मंदिर न्यास को ₹6342 कि अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी लेकिन इस संदर्भ में उच्च ब्याज दर पर निवेश न किए जाने के कारण

न्यास को ₹6342 कि अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा जिस बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त हानि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

बैंक का नाम/ सावधि जमा खाता संख्या	निवेशित राशि (₹₹)	निवेश/ परिपक्वता की तिथि	निवेश तिथि को उपलब्ध उच्च ब्याज दर	उच्च ब्याज दर पर जो परिपक्वता राशि प्राप्त होनी थी (₹₹)	वास्तव में प्राप्त परिपक्वता राशि (₹₹)	कम प्राप्त ब्याज (₹₹)
शिमला को-ऑपरेटिव बैंक 1486/1	1184330	25.9.12/ 25.9.13	9.50%	1300913	1294571	6342

(ख) सावधिक जमा की परिपक्वता राशी से स्त्रोत पर काटे गए आयकर ₹1.04 लाख को वापिस प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013 से 2015 तक निम्न विवरण अनुसार विभिन्न बैंको द्वारा सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर प्रदत ब्याज में से **₹104366.54** की कटौती स्त्रोत पर आयकर के रूप में की गयी थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ग"** पर दिया गया है ।चूँकि धार्मिक संस्था होने के नाते न्यास की आय आयकर से मुक्त है इसलिए स्त्रोत पर काटी गयी आयकर राशी को वापिस प्राप्त किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया।। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित मामला आयकर विभाग से नियमानुसार उठाते हुए स्त्रोत पर काटी गई आयकर की उक्त राशि को वापिस प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

वर्ष	स्त्रोत पर आय कर कटौती की राशी (रु० में)
2013	64230.73
2014	40135.81
कुल योग	**104366.54**

(ग) बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर ₹0.15 लाख का ब्याज कम प्रदान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर नियमानुसार ब्याज की देय राशी की अपेक्षा **₹14776** का कम ब्याज प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर छानबीन करके वस्तु स्थिति पता की जाये तथा कम दिए गये ब्याज की राशी को वापिस प्राप्त करके मंदिर निधि की भरपाई की जाए :-

सावधिक जमा रजिस्टर पृष्ठ संख्या	बैंक का नाम /सावधिक जमा खाता या रसीद संख्या	अवधि व निवेशित (₹) में	वास्तविक परिपक्वता की तिथि व प्राप्त (₹) में	वास्तविक परिपक्वता तिथि को जो राशी देय बनती थी (₹) में	ब्याज दर	प्राप्त ब्याज (₹) में	ब्याज राशी जो प्राप्त होनी चाहिए थी (₹) में	अंतर/ कम प्राप्त ब्याज (₹) में
8	**Vijaya Bank, Shimla 770103681000009 dated 10.10.13**	**10.10.13 to 10.10.14/ 1089078**	**3.11.14/ 1196285**	**1203758**	**9.50%**	**110222**	**114680**	**4458**
7	**Vijaya Bank, Shimla 770103311000021 dated 23.11.13**	**23.11.13to 10.2.15/ 544125**	**2.4.15/ 611803**	**615791**	**9.20%**	**67678**	**71666**	**3988**
6	**Vijaya Bank, Shimla 770103311000022 dated 23.11.13**	**23.11.13to 10.2.15/ 544127**	**2.4.15/ 611803**	**615793**	**9.20%**	**67676**	**71666**	**3990**
3	**Vijaya Bank, Shimla 770103311001931 dated 4.2.14**	**4.2.14 to 4.2.15/ 593473**	**4.2.15/ 647010**	**649350**	**9.10%**	**53537**	**55877**	**2340**
							कुल जोड़	**14776**

6 अनुदान

श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास को अवधि 01/2013 से 12/2015 तक के दौरान प्राप्त अनुदान व अनुदान से किये गये व्यय का विवरण **परिशिष्ट-'घ"** पर वर्णित है ।

7 दिनांक 31.12.15 को अस्थाई अग्रिम ₹39000 वसूली/समायोजन हेतु शेष

अंकेक्षण को प्रस्तुत अस्थाई अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.12. 15 को निम्न विवरण अनुसार ₹39000 के अस्थाई/स्टाफ अग्रिम के रूप में वसूली/समायोजन हेतु शेष थे जिनकी वसूली/समायोजन समयानुसार सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रम संख्या	प्राप्तकर्ता का विवरण	समायोजन/वसूली हेतु शेष (₹) में
1	श्री सुनील कुमार, लिपिक	19000.00
2	श्री कुलदीप बूटेल, न्यासी सदस्य	20000.00
	कुल योग	**39000.00**

8 सोने -चांदी के लेखे अनुसार स्टॉक की स्थिति व् लेखे में पाई गई अनियमितताएं

(i) श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास-जाखू, शिमला के सोना -चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अवधि 01.01.13 से 31.12.15 तक सोने के स्टॉक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी(परिशिष्ठ 'ड०"):-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (ग्राम में)	प्राप्त सोने की मात्रा(ग्राम में)	अन्यत्र प्रयुक्त /बाँड इत्यादि में निवेश की मात्रा(ग्राममें)	अंतिम शेष (ग्राम में)
2013	324.341	nil	nil	324.341

2014	324.341	nil	nil	324.341
2015	324.341	33.000	nil	357.341

सोने के दिनांक 31.12.15 को दर्शाए गए उक्त अंतिम शेष का शीर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से था:-

(क)जिला कोषागार,शिमला में जमा सोना	*324.341 ग्राम
(ख)प्रबन्धक,मन्दिर न्यास के पास जमा सोना	033.000 ग्राम
अंतिम शेष का कुल योग	**357.341 ग्राम**

***नोट:-**गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 (क) के अनुसार न्यास द्वारा दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था तथा मन्दिर अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस तिथि को मन्दिर में उपलब्ध सोने -चांदी के वजन का भौतिक सत्यापन करते हुए सोना 203.200 ग्राम व चांदी 3.753.800कि०ग्रा० पाया और इस शेष को जिला कोषागार में जमा दर्शाने के साथ-साथ वर्ष 2004 का आरम्भिक शेष मानकर सोना-चांदी के स्टॉक में भी जमा करके दर्ज किया गया है। अतः दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी के स्टॉक से सम्बन्धित वस्तु स्थिति वास्तविक अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण को स्पष्ट की जाए ।

(**ii) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की की धारा 12-ए (2) के प्रावधानों को लागू न करना**

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम ,1984 की धारा 12-A (2)(A)(ii) के प्रावधानानुसार 20% सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व् सुचना के अवलोकन से विदित है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास को इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली अतिरिकत आय से भी एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(iii)श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास-जाखू, शिमला के सोना-चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अवधि 01.01.13 से 31.12.15 तक चांदी के स्टॉक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी **(परिशिष्ठ 'ड०"):-**

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (कि०ग्रा०)**	**प्राप्त चांदी की मात्रा(कि०ग्रा०)**	**अन्यत्र प्रयुक्त /बाँड इत्यादि में निवेश की मात्रा (कि०ग्रा०)**	**अंतिम शेष (कि०ग्रा०)**
2013	37-556-800	3-664-000	nil	41-220-800
2014	41-220-800	3-696-000	nil	44-916-800
2015	44-916-800	3-518-000	nil	48-434-800

चांदी के दिनांक 31.12.15 को दर्शाए गए उक्त अंतिम शेष का शीर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से था:-

(क)जिला कोषागार, शिमला में जमा चांदी — *18-719-800 **कि०ग्रा०**

(ख)प्रबन्धक, मन्दिर न्यास के पास जमा चांदी — 29-715-000 **कि०ग्रा०**

अंतिम शेष का कुल योग — 48-434-800 कि०ग्रा०

***नोट:-**गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 (क) के अनुसार न्यास द्वारा दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था तथा मन्दिर अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस तिथि को मन्दिर में उपलब्ध सोने-चांदी के वजन का भौतिक सत्यापन करते हुए सोना 203.200 ग्राम व चांदी 3.753.800 कि०ग्रा० पाया और इस शेष को जिला कोषागार में जमा दर्शाने के साथ-साथ वर्ष 2004 का आरम्भिक शेष मानकर सोना-चांदी के स्टॉक में जमा करके दर्ज किया गया है। अतः दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी के स्टॉक से सम्बन्धित वस्तु स्थिति वास्तविक अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण को स्पष्ट की जाए। ।

(iv) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम ,1984 की एक्ट की धारा के प्रावधानों को लागू न करना

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम ,1984 की धारा 12-ए (2)(B)(iii) के प्रावधानानुसार 60% चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण न्यास को इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली अतिरिक्त आय से एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविल म्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 बजट का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ₹204.85 लाख का मन्दिर न्यास निधि से अनियमित व्यय/भुगतान

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 22 के प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट आयुक्त एवम प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित होना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वार्षिक बजट न तो तैयार किया गया था और न ही आयुक्त एवम प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित करवाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹204.85 लाख का व्यय बिना सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकार व् बजट अनुमोदन से किया गया जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसे अब सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर

अंकुश लगाने हेतु ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

वर्ष	वित्तीय स्थिति अनुसार कुल व्यय (₹ में)
2013	**64,92,452.73**
2014	**69,64,466.81**
2015	**70,28,556.00**
कुल जोड़	**2,04,85,475.54**

10 अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर व्यय की स्थिति

अंकेक्षण को **परिशिष्ट-'च"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार मन्दिर में कुल नौ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे व एक पद खाली था तथा अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई नई भर्ती नहीं की गई थी। अंकेक्षणाधीन अवधि में वर्षवार मन्दिर के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार से था।

वर्ष	वेतन व भत्तों पर कुल व्यय (₹)में
2013	583900
2014	637200
2015	637200

11 अंकेक्षण अवधि में सावधिक जमा में निवेशित ₹86.36 लाख की सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज ₹19.92 लाख व् स्त्रोत पर काटे गए आयकर की ₹1.04 लाख की रोकड़ बही में गणना न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सावधिक जमा में निवेशित ₹8636209.45 तथा अंकेक्षण अवधि में सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज ₹1991576.44 व् स्त्रोत पर काटे गए आयकर की ₹104366.54 की रोकड़ बही में गणना नहीं की गई थी जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है। ।इस अनियमितता का समाधान अब अंकेक्षण द्वारा वर्णित राशियों की दिनांक 31.12.15 को रोकड़ बही में गणना करवाकर कर दिया गया है तथा परामर्श दिया जाता है भविष्य में उक्त वर्णित लेन-देन की समय-समय पर रोकड़ बही में गणना सुनिश्चित

की जाये ताकि इस अनियमितता की पुनरावृति न हो व किसी दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी बचा जा सके।

12 रसीदों से प्राप्त ₹601 की आय की राशी को रोकड़ बही /बैंक में कम गणना/जमा करना

चयनित माह 6/13,6/14 तथा 6/15 में भंडारा रसीदों से प्राप्त आय/राशियों का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार रसीदों से प्राप्त आय में से **₹601** की रोकड़ बही में कम गणना करने के अतिरिक्त न्यास के बैंक खाते में भी कम जमा करवाई गई थी। अंकेक्षण द्वारा वर्णित अनियमितता सूचित करने पर उक्त राशी दिनांक 23.08.16 को न्यास के बैंक खाते में जमा कर दी गई थी जिसकी गणना अब रोकड़ बही में सुनिश्चित करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए:-

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	प्राप्त राशि (₹)	रोकड़/ बैंक में जमा राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
1	501 से 600	से 22.6.14 28.6.14तक	28362	27962	400
2	832 से 838 व 840	से 19.4.15 27.4.15तक	14105	13904	201
		कुल योग			**601**

13 प्रा प्त आय को बैंक में विलम्ब से जमा करना

अंकेक्षणाधीन अवधि में मंदिर न्यास को प्राप्त आय का संबधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदो से प्राप्त आय की राशी को बहुत विलम्ब से रोकड़ बही में दर्ज़ व बैंक में जमा करवाया गया था जोकि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है। नियमानुसार प्राप्त आय की राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । वर्णित अनियमितता के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। । इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार-बार आपत्ति उठाई गई थी परंतु अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है जोकि गंभीर चिंता का विषय है :-

रसीद संख्या	दिनांक	प्राप्त राशी (₹)	रोकड़ बही में प्रविष्टि व बैंक में जमा की तिथि
591 व 592	14.04.13	10000.00	19.06.13
593	21.04.13	5000.00	19.06.13
594	25.04.13	5000.00	19.06.13
595	28.04.13	5000.00	19.06.13
596	28.04.13	19115.00	02.07.13
597	05.05.13	5000.00	02.07.13

598	02.06.13	5000.00	02.07.13
287 से 294 तक	08.06.14	6901.00	18.06.14
832 से 834 तक	19.04.15	11402.00	25.05.15
835	21.04.15	251.00	25.05.15
836 से 838 तक	26.04.15	1352.00	25.05.15
840	27.04.15	1100.00	25.05.15
841 व 842	27.04.15	6000.00	05.06.15
843	28.04.15	100.00	05.06.15
844 से 850 तक	03.05.15	8952.00	05.06.15
851 से 854 तक	09.05.15	502.00	05.06.15
855 से 859 तक	10.05.15	951.00	05.06.15
860 व 861	11.05.15	2000.00	05.06.15
862 से 864 तक	11.05.15	711.00	08.06.15
877	17.05.15	5000.00	08.06.15
880 व 881	19.05.15	3100.00	08.06.15
883	23.05.15	5000.00	08.06.15

अत :वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्राप्त आय की राशि को नियमानुसार उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14 रोकड़ बही/बैंक में जमा ₹799 की प्राप्त आय का स्त्रोत/विवरण प्रस्तुत न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि में मंदिर न्यास को प्राप्त आय का संबधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनाँक 08.11.13 को प्राप्त कुल ₹23950 की आय की राशि में से ₹₹799 प्राप्ति स्त्रोत/विवरण न तो रोकड़ बही में दर्ज था और न ही न्यास द्वारा यह विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया गया जिसके अभाव में वर्णित प्राप्त राशि की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अत :वर्णित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करते हुए सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 भारत संचार निगम लिमिटेड से premises के किराया की ₹6,000 की कम वसूली करना

श्री हनुमान जी मंदिर न्यास जाखू व भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच मंदिर परिसर में मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु दिनांक 23.11.2010 को 15 वर्ष की अवधि के लिए हुए लीज अनुबंध की शर्त संख्या: 3 के अनुसार किराए पर दिये गए कमरे /premises का किराया ₹5,000 प्रति माह निर्धारित हुआ था तथा जिसे 15% की दर से प्रत्येक तीन वर्ष बाद बढ़ाया जाना था। इस प्रकार दिनांक 23.11.13 से उक्त कमरे /premises का किराया ₹5750 प्रति माह लिया जाना अपेक्षित था किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्णित किराया वृद्धि दिनांक 23.11.13 की अपेक्षा दिनांक 23.07.14 से लागू की गई जिस

अनियमितता के कारण अवधि 23.11.13 से 22.7.14 तक निम्न विवरण अनुसार ₹6,000 के किराये की कम प्राप्ति/वसूली हुई है।। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में निश्चित समयानुसार अर्थात दिनांक 23.11.16 से किराये की वृद्धि करके किराया वसूल किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

अवधि	**देय किराया प्रति माह (₹)**	**प्राप्त किराया प्रति माह (₹)**	**अन्तर (₹)**	**कम वसूल/प्राप्त किराये (₹)**
23.11.13 से 22.7.14 तक = 8माह	5750	5000	750	6000

16 नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने सम्बन्धी अनियमितताएं

चयनित मासों के व् विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भुगतान बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के आंबटन से पूर्व व् बाद से लेकर उनके पूर्ण होने तक नियमानुसार कई आवश्यक औपचारिकताएं तथा विहित प्रक्रियाए पूर्ण नहीं की की गई थी जैसे कि :-

(i) नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा निविदा आमंत्रण सूचना कार्यालय सूचना पट पर लगाकर ठेकेदारों से निविदायें आमत्रित की गयी थी जबकि नियमानुसार प्रेस विज्ञप्ति द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी।

(ii) नियमानुसार ठेकेदारों से निविदाओं के साथ अर्नेस्ट मनी जमा प्राप्त नही की गई थी।

(iii) निर्माण कार्यों के डिजायन, ड्राईंग, जोईनरी डिटेल्स, निर्माण कार्य व् मदों के विभागीय औचित्य तैयार नहीं किए गये थे।

(iv) सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(v) कार्य आबंटन पत्र/अनुबंध में कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पूर्ण उल्लेख नहीं किया गया था।

(vi) माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था बल्कि सहायक अभियंता द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य की केवल Assessment Sheet तैयार करके ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा था।

(vii) Assessment Sheet में निष्पादित कार्यमद के परिमाप के विरुद्ध विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था।

(viii) निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कांट्रेक्टर लेजर का नियमानुसार अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

(ix) नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य में कोई टैस्ट चैक नहीं किया गया था।

(x) ठेकेदार के बिलों से वैधानिक कटौतियां नहीं की गयी थी जैसे प्रतिभूति, बिक्रीकर, श्रम उपकर इत्यादि।

(xi) अतिरिक्त मदों की दर विश्लेषण व् अनुमोदन की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था।

(xii) निष्पादित निर्माण कार्य की विचलन विवरणी तैयार/अनुमोदित नहीं की गयी थी।

(xiii) निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र भी नहीं दिए गये थे।

अतः नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना ही कार्य करवाना तथा ठेकेदार के बिलों से वैधानिक कटौतियां न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन अनियमितताओं को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित अभिलेख/विवरण का अनुरक्षण करने के अतिरिक्त इन अनियमितताओं की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 निर्माण कार्य बिलों से श्रम उपकर (Labour cess) ₹0.70 लाख की वसूली न करना

चयनित माह व् विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्न विवरणानुसार ₹**70373** श्रमकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 1-2000(LabLab)BCWA-BCWA- दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व तदोपरांत हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा करवाया जाना अपेक्षित था:-

क्रमांक	**माप पुस्तिका / वाउचर का विवरण**	**ठेकेदार एवम कार्य का नाम**	**कुल निष्पादित कार्य/ भुगतान (₹₹)**	**1% की दर से श्रम उपकर की वसूली न करना (₹)**
1	Assessment Sheet no. 95 dt.19.10.13(3rd & final bill)cash book Page no.105	Sh.Santosh Jiwan Sharma Addition &Alteratin of Office building at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla	1713949	17140
2	Assessment Sheet no. 205/96 dt.07.06.14(3rd & final bill)cash book Page no.127	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Rooms (Two Stories) near kitchen at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla	1950000	19500
3	Assessment Sheet no. 240 dt.04.12.14(1st & final bill)cash book	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Residential quarters Two rooms for	751000	7510

	Page no.147	employees/path/ kota stone near kitchen structures etc. at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla		
4	Assessment Sheet no. 91dt.07.10.13(1st & final bill)cash book Page no.104	Sh.Krishan Chand Providing M.S.Sheets in the Gables of roof trusses of passage at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla	464000	4640
5	Assessment Sheet no. 93 dt.11.10.13(1st R/ bill)cash book Page no.105	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Path & providing stone pavers from ropeway via Dussehra ground to Sh. Hanuman ji Temple at Jakhoo,Shimla	774275	7743
6	Assessment Sheet no. 229 dt.07.10.14(1st & final bill)cash book Page no.133	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Pantry & Hand wash near langar Hall at Sh. Hanuman ji Temple - Jakhoo,Shimla	524000	5240
7	Assessment Sheet no. 228 dt.07.10.14(1st & final bill)cash book Page no.133	Sh.Santosh Jiwan Sharma Providing painting, distempering, toilet repair, fixture opening of Office building at Sh. Hanuman ji Temple -Jakhoo,Shimla	171000	1710
8	Assessment Sheet no. 256 dt.27.03.15(1st & final bill)cash book Page no.147	Sh.Santosh Jiwan Sharma SH: P/F PVC sheet in window,local slate in verandah,M.S.sheet in old langar Hall,Graiting on Drain & Terracota apex on the path courtyard etc.	689000	6890
कुल जोड़				**70373**

अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब श्रम उपकर की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए वर्णित बोर्ड में जमा करवाया जाने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ठेकेदारों से श्रम उपकर की कटौती व् जमा सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 निर्माण कार्यों के बिलों से ₹2.11लाख के बिक्रीकर की कटौती न करने के कारण सरकारी खजाने को राजस्व की हानि

चयनित माह व् विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान से निम्न विवरणानुसार ₹**211116** के बिक्रीकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार कुल निर्माण लागत

का तीन प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व तदोपरांत सरकार के कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था:-

क्रमांक	माप पुस्तिका /वाउचर का विवरण	ठेकेदार एवम कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य/भुगतान की राशि(₹)	3% की दर से बिक्रीकर की देय (₹) में
1	Assessment Sheet no. 95 dt.19.10.13(3rd & final bill)cash book Page no.105	Sh.Santosh Jiwan Sharma Addition &Alteratin of Office building at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla	1713949	51418
2	Assessment Sheet no. 205/96 dt.07.06.14(3rd & final bill)cash book Page no.127	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Rooms (Two Stories) near kitchen at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla	1950000	58500
3	Assessment Sheet no. 240 dt.04.12.14(1st & final bill)cash book Page no.147	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Rooms (Two Stories) near kitchen at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla	751000	22530
4	Assessment Sheet no. 91dt.07.10.13(1st & final bill)cash book Page no.104	Sh.Krishan Chand Providing M.S.Sheets in the Gables of roof trusses of passage at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla	464000	13920
5	Assessment Sheet no. 93 dt.11.10.13(1st R/ bill)cash book Page no.105	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Path & providing stone pavers from ropeway via Dussehra ground to Sh. Hanuman ji Temple at Jakhoo,Shimla	774275	23228
6	Assessment Sheet no. 229 dt.07.10.14(1st & final bill)cash book Page no.133	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Pantry & Hand wash near langar Hall at Sh. Hanuman ji Temple -Jakhoo, Shimla	524000	15720
7	Assessment Sheet no. 228 dt.07.10.14(1st & final bill)cash book Page no.133	Sh.Santosh Jiwan Sharma Providing painting, distempering, toilet repair, fixture opening of Office building at Sh. Hanuman ji Temple -Jakhoo,Shimla	171000	5130
8	Assessment Sheet no. 256 dt.27.03.15(1st & final bill)cash book Page no.147	Sh.Santosh Jiwan Sharma SH: P/F PVC sheet in window,local slate in verandah,M.S.sheet in old langar Hall,Graiting on Drain & Terracota apex on the path courtyard etc.	689000	20670
		कुल जोड़		**211116**

अतः इस अनियमितता के कारण सरकारी खजाने को राजस्व ₹211116 की हानि हुई है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बिक्रीकर की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली कर के हुए सरकार के कोष में जमा करवाया जाने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ठेकेदारों से बिक्रीकर की कटौती व् सरकार के कोष में जमा भी सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।।

19 **कार्य का नाम:** Addition &Alteratin of Office building at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla

संविदाकार **का नाम:** Sh.Santosh Jiwan Sharma

चलत बिल संख्या :- 1st to 3rd & Final

माप पुस्तिका संख्या : Assessment Sheet no. 81, 94 & 95 dt.14.08.13, 11.10.13 & 19.10.13 (cash book Page no.105)

(1) संविदाकार को अनुबंधित दर की अपेक्षा उच्च दर से भुगतान करने के फलस्वरूप ₹1.94 लाख का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि यह कार्य ठेकेदार को आबंटन पत्र संख्या: SML-SDM(U) Works(MPLAD)1/11-12-1569 दिनांक 18/23.07.13 द्वारा कुल ₹861000 में आबंटित किया गया था **(परिशिष्ट-'छ")** जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तुत संशोधित/ negotiated दरों (970844) से 11.31% कम दरों (970844-861000/970844x100) पर कार्य करना अनुबंधित हुआ था किन्तु निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान अनुबंधित दरों की अपेक्षा संशोधित/negotiated दरों अनुसार ही अनियमित रूप से किया गया जिसके कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹**193848** का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

शोधित /negotiated दरों अनुसार देय (₹)	**अनुबंधित दर अनुसार प्रीमियम (₹)**	**वास्तविकता में अनुबंधित दर पर संविदाकार को देय (₹)**	**वास्तविक भुगतान (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
1713949	(-)193848	1520101 Less cost of wood 58949 & TDS 16550=NettDue1444602	1638450	**193848**

(2) न्यास द्वारा अपने भंडार से आपूर्ति की गयी देवदार की लकड़ी की एवज में संविदाकार से ₹0.33 लाख कम वसूली करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु न्यास द्वारा अपने भंडार से 1.662 घनमीटर देवदार की लकड़ी की आपूर्ति की गई थी (स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ- 201) तथा सविंदा आमंत्रण सूचना (NIT NIT) अनुसार जिसके मूल्य की वसूली ठेकेदार के बिलों से बाजार भाव दर, जोकि वन निगम के शिमला स्थित डिपो से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार ₹54900 प्रति घनमीटर थी, से की जानी अपेक्षित थी। किन्तु संविदाकार के प्रथम चलत बिल

से केवल 1.324689 घनमीटर देवदार की लकड़ी के मूल्य की ही वसूली वह भी हि०प्र० दर अनुसूची, 2009 अनुसार ₹44500 प्रति घनमीटर की दर से की गई जिस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार संविदाकार से ₹**32295** की कम वसूली की गई है जिसका नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

आपूर्ति की गई देवदार की लकड़ी के मूल्य की वसूली हेतु देय (₹) में			**वास्तविक वसूल की गई (₹) में**			**कम वसूल की गई राशी (₹) में**
लकड़ी की मात्रा (घनमीटर में)	**बाजार भाव दर प्रति घनमीटर (₹) में**	**(₹) में**	**लकड़ी की मात्रा (घनमीटर में)**	**दर प्रति घनमीटर (₹) में**	**(₹) में**	
1.662	54900	91244	1.324689	44500	58949	**32295**

(3) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व दर विश्लेषण अनुमोदित करवाए बिना अतिरिक्त मद का ₹80440 का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार निष्पादित कुल ₹80440 की अतिरिक्त कार्य मदों (**Extra item**) का संविदाकार को भुगतान किया गया था किन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा निष्पादन हेतु अनुमोदित की गयी दर बारे कोई भी अभिलेख बार- 2 मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही ₹80440 की अतिरिक्त मद का निष्पादन कर अनियमित भुगतान किया गया है जिसे पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए।

क्रमांक	**अतिरिक्त निर्माण कार्य मद का नाम**	**कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**भुगतान दर (₹) में**	**कुल भुगतान (₹) में**
1	EI/11(1) "M.S.Sheet 1.67mm thick @13.1kg/Sqm"(1st R/bill)	26.41445 Sqm	1310 per Sqm	34603
2	EI/1 "Half brick massonary in common burunt clay building in CM 1:4" (1st R/bill)	24.9915 Sqm	880 per Sqm	21993
3	EI/2 "15mm cement plaster in single coat on fair side of brick /concrete/stone walls for interior plastering upto floor two level in CM 1:6 etc." (1st R/bill)	70.7187Sqm	150 per Sqm	10608
4	EI/2 "P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work in F/P" (2nd R/bill)	3.48326Cum	3800 per Cum	13236
			Total	**80440**

(4) अतिरिक्त कार्य मद (Extra items) के निष्पादन पर संविदाकार को ₹23855 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख एवम कार्यालय द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त मद (**Extra items**) की संविकार को प्रदत भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित है। संविदाकार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था तथा ऐसा न करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹**23855** का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरांत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्त्रोत से वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(i)अतिरिक्त कार्य मद संख्या: EI/1(1st R/bill) "Half brick massonary in common burunt clay building in CM 1:4" की कुल कार्य प्रमात्रा 24.9915वर्ग मीटर का ₹880 प्रति वर्ग मीटर की दर से संविदाकार को ₹21993 का भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार भुगतान दर का निर्धारण करके यह निम्नानुसार ₹458 प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए था। अतः नियमानुसार देय भुगतान दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹**11390** {26.9915Sqm.xRs.422(Rs.880-Rs.458)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है:-

*Rate as per HPSR, 2009 (Item code 10040301 &10050000/ChapterX-Brick work, P-108&109) =Rs.388.70perSqm.

Add Contractor"s Overall Premium 17.84% =Rs.69.34

Thus Rate of item due to be paid to Contractor =**Rs.458.04 say Rs.458perSqm**.

निष्पादित निर्माण कार्य मद में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि कार्य में प्रथम श्रेणी की इंटें प्रयोग की गयी थी या द्वितीय श्रेणी तथा कार्य धरातल में हुआ था या उससे ऊपर तल में? इसलिए यह मानकर कि कार्य प्रथम श्रेणी ईटों व् द्वितीय तल तक हुआ है। अतः हि०प्र० दर अनुसूची, 2009 अनुसार कार्यमद की दर यथानुसार गणना हेतु ली गई ।

(ii) अतिरिक्त कार्य मद संख्या: 1 (2nd R/bill) " P/L granite stone in flooring 20mm thick average thickness base of CM 1:3 laid over jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of Granite st i.e. rubbing & polishing complete 20mm thick including RCC shelf comlete in all respect" की कुल कार्य प्रमात्रा 6.0374 वर्ग मीटर का ₹5500 प्रति वर्ग मीटर की दर से संविदाकार को ₹33206 का भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार भुगतान दर का निर्धारण करके यह निम्नानुसार ₹4219 प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए था। अतः नियमानुसार देय भुगतान दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹**7734**{6.0374SqmxRs.1281(Rs5500-Rs.4219)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

(A) अनुबंध की मूल कार्य मद संख्या: 1 "P/L Duro stone vetrified tiles(300x300mmx10mm) in grey/coloured or of approved shade in flooring,treads of steps and landing laid on a bed of 12mm thick CM 1:3 laid over and jointed with neat cement slurry finished with flush pointing in white cement mixed with pigment of required shade to match the shade of tiles complete" का HPSR 2009 के अनुसार Rate(Item code 13690000/ChapterXIII,P-187) =₹1365.30perSqm.

इस कार्य मद की संविदाकार से अनुबंधित दर =₹1620 प्रति वर्ग मीटर

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

=254.70(1620-1365.30)x100 =**18.66%** **Above**

1365.30

(B) निष्पादित कार्य मद "P/L granite stone in flooring 20mm thick average thickness base of CM 1:3 laid over jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of Granite site rubbing & polishing complete 20mm thick" का HPSR 2009 के अनुसार Rate (Item code 13570000/ChapterXIII, P-185) =Rs.3555.60perSqm.

ADD Similar item Premium 18.66% above as per (A) above= Rs.663.48

अतः Rate to be paid to Contactor =Rs.4219.07say Rs.4219 perSqm.

(iii) अतिरिक्त कार्य मद संख्या: EI/2 "15mm cement plaster in single coat on fair side of brick /concrete/stone walls for interior plastering upto floor two level in CM 1:6 etc." (1st R/bill) की कुल कार्य प्रमात्रा 70.7187 वर्ग मीटर का ₹150 प्रति वर्ग मीटर की दर से संविदाकार को ₹10608 का भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार भुगतान दर का निर्धारण करके यह निम्नानुसार 86.50रु० प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए था । अतः नियमानुसार देय भुगतान दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹**4491** {70.7187Sqm.xRs.63.50 (Rs.150-Rs. 86.50)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है:-

Rate as per HPSR, 2009 (Item code 17048040
ChapterXVII-Plastering work, P-241) =Rs.73.40perSqm.

Add Contractor"s Overall Premium 17.84% =Rs.13.10

Thus Rate of item due to be paid to Contractor =**Rs.86.50 perSqm**.

(iv) अतिरिक्त कार्य मद संख्या: EI/2 " P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work in F/P" (2nd R/bill) की कुल कार्य प्रमात्रा 3.48326Cum घन मीटर का ₹3800 प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को ₹13236 का भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार भुगतान दर का निर्धारण करके यह निम्नानुसार ₹3731 प्रति घन मीटर होना चाहिए था । अतः नियमानुसार देय भुगतान दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹**240** {3.48326CumxRs.69(Rs.3800-Rs.3731)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

Rate as per HPSR, 2009 (Item code 0920010A
Chapter IX-Concrete work, P-96) =Rs. 3165.90perCUM

Add Contractor"s Overall Premium 17.84% =Rs.564.80

Thus Rate of item due to be paid to Contractor=**Rs.3730.70sayRs.3731perCUM**

20 **कार्य का नाम:** C/o Rooms (Two Stories) near kitchen at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla

संविदाकार का नाम: Sh.Santosh Jiwan Sharma

संख्या :- 1st to 3rd & Final bill

माप पुस्तिका संख्या : Assessment Sheet no. 80, 96 & 205/96 dt.14.08.13, 19.10.13 & 07.06.14 (cash book Page no.105&127)

(1) संविदाकार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹1686 का अधिक भुगतान

उपरोक्क्त निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ जांच करने के दौरान पाया गया कि अनुबंध की कार्य मद संख्या : 11 "6mm thick plaster in ceiling" की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 56.202 वर्ग मीटर का ₹150 प्रति वर्ग मीटर की दर से संविदाकार को ₹8430 का भुगतान किया गया था (Assessment Sheet no. 205/96 dt. 07.06.14) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु संविदाकार से ₹120 प्रति वर्ग मीटर की दर अनुबंधित थी। अतः इस प्रकार संविदाकार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹**1686** {56.202वर्ग मीटर xRs.30 (Rs.150-Rs.120)} का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्त्रोत से वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) स्टील का गलत factor लगाने के कारण संविदाकार को ₹22072 का अधिक भुगतान

कार्य मद सख्या : 1/EI Steel work welded in built up section including cutting,hoisting,fixing in position & applying a primary coat of red lead paint in gratings,framed guards,bars,ladders,railing,brackets and similar works" की कुल कार्य प्रमात्रा 12225.561 कि०ग्रा० का ₹81.90 की दर से संविदाकार को ₹10,01,274 का भुगतान किया गया था । इस कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि स्टील का गलत factor लगाने के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹**22072** का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Assessment Sheet **संख्या**	**सामग्री का नाम**	**निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**लगाया गया factor व् कार्य प्रमात्रा**	**निर्धारित factor व् कार्य प्रमात्रा**	**कार्य प्रमात्रा में अंतर**	**दर(रु० प्रति कि०ग्रा०)**	**अधिक भुगतान ₹ में**
205/96	ISMC 100mm	476.42m	9.6kg/ 4573.63kg	9.2kg/ 4383.06kg	190.57kg	81.90	15607
205/96	Flat 40x5mm	378.74m	1.78kg/ 674.16kg	1.58kg/ 598.41kg	75.75kg	81.90	6204
205/96	Square Bar 10x10mm	3.2m	1.78kg/ 5.70kg	0.785kg/ 2.51kg	3.19kg	81.90	261
कुल जोड़							**22072**

(3) **संविदाकार को अनुबंधित दर की अपेक्षा उच्च दर से भुगतान करने के फलस्वरूप ₹6.91 लाख का अधिक भुगतान**

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि यह कार्य ठेकेदार को आबंटन पत्र संख्या: SML-SDM(U) Works(MPLAD)1/11-12-1571-72 दिनांक 18/23.07.13 द्वारा कुल ₹**950000** में आबंटित किया गया था **(परिशिष्ट-'ज")** जिसके अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तुत संशोधित/ negotiated दरों(1472173) से 35.47%कम दरों (1472173-950000/1472173x100) पर

कार्य करना अनुबंधित हुआ था किन्तु निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान अनुबंधित दरों की अपेक्षा संशोधित/ negotiated दरों अनुसार ही अनियमित रूप से किया गया जिसके कारण संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹**691165** का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

संशोधित/negotiated दरों अनुसार देय ₹ में	**अनुबंधित दर अनुसार प्रीमियम (₹**₹) में	**वास्तविकता में अनुबंधित दर पर संविदाकार को देय** ₹	**वास्तविक भुगतान** ₹	**अधिक भुगतान** ₹
19,50,000	(-)691665	1258335	1949500	**691165**

(4) **निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना सही सूत्र से न करने की त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹2194 का अधिक भुगतान**

कार्य मद संख्या: 3 (Assessment sheet no.80&96,1st&2nd R/bill) "P/L 1:2.4 & curing complete excluding the cost of form work & reinforcement for reinforced concrete work in (a) footings,base of columns etc.- base of column" की कुल कार्य प्रमात्रा 5.082 & 2.236 घन मीटर का ₹4100 प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को ₹23788 & ₹9168 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की Assessment sheet no.80,1st R/bill व Assessment sheet no.96,2nd R/bill पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि column की footings की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना सही सूत्र h/3{(A1+A2+√A1xA2)} की अपेक्षा अन्य सूत्र से करने की त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार 0.535 घन मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा का संविदाकार को ₹2194 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Assessment sheet/	**गणना जिसका भुगतान**	**सही गणना जिसका भुगतान**	**अधिक**	**दर प्रति**	**अधिक**

Column nos.	किया गया	किया जाना चाहिए था	भुगतान की कार्य प्रमात्रा	घन मीटर ₹	भुगतान ₹
80(1st R/bill) =6 no.	(1.50x1.50)+(0.30x0.30) / 2 x0.25 =.292x6no. =1.752CUM	6no.x0.25{(1.50x1.50)+ / 3 (0.30x0.30)+ √(1.50x1.50)X(0.30x0.30)} =1.395CUM	0.357cum	4100	**1464**
96(2nd R/bill) =4 no.	(1.30x1.20)+(0.30x0.30) / 2 x0.30=.2475x4no. =0.988CUM	4no.x0.30{(1.30x1.20)+ / 3 (0.30x0.30)+ √(1.30x1.20)X(0.30x0.30)} =0.81CUM	0.178cum	4100	**730**
कुल जोड़	**2.74 0CUM**	**2.205 CUM**	**0.535cum**	**4100**	**2194**

21 **कार्य का नाम:** Providing M.S.Sheets in the Gables of roof trusses of passage at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla

संविदाकार का नाम: Sh.Krishan Chand **चलत बिल संख्या -:**1st & Final bill

माप पुस्तिका संख्या: Assessment Sheet no. 91 dt. 07.10.13 (cash book Page no.104)

(1) स्टील का गलत factor लगाने के कारण संविदाकार को ₹5740 का अधिक भुगतान

कार्य मद सख्या :1/EI Steel work welded in built up section including cutting,hoisting,fixing in position & applying a primary coat of red lead paint in gratings,framed guards,bars,ladders,railing,brackets and similar works" की कुल कार्य प्रमात्रा 3042.589 कि०ग्रा० का ₹80 की दर से संविदाकार को ₹243407 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दोरान पाया गया कि स्टील का गलत factor लगाने के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹**5740** का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

वस्तु का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	लगाया गया factor व् कार्य प्रमात्रा	निर्धारित factor व् कार्य प्रमात्रा	कार्य प्रमात्रा में अंतर	दर (₹प्रति कि०ग्रा०)	अधिक भुगतान की राशी (₹में)
Flat 40x5mm	358.72m	1.78kg/ 638.52kg	1.58kg/ 566.78kg	71.74kg	80.00	**5740**

(2) DNIT की कार्य मद को अतिरिक्त मद (Extra item) दर्शाकर संविदाकार को ₹46237 का अनुचित लाभ

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि DNIT की कार्य मद संख्या : 1 "Steel work welded in built up section including cutting,hoisting,fixing in position & applying a primary coat of red lead paint in gratings,framed guards,bars,ladders,railing,brackets and similar works" की अनुमानित कार्य प्रमात्रा 5315.50कि०ग्रा० थी जिसमे M.S.Sheet 1.67mmto2mm @15.7kg/Sqm की 2260.80कि०ग्रा० कार्य प्रमात्रा भी शामिल थी तथा यह कार्य मद ठेकेदार से ₹80 प्रति कि०ग्रा० की दर से कार्यन्वित की जानी अनुबंधित हुई थी। किन्तु भुगतान करते समय

M.S.Sheet 1.67mm @13.1kg/Sqm की 169.99 वर्ग मीटर मात्रा को 2226.86कि०ग्रा० में परिवर्तित करके भुगतान करने की अपेक्षा अतिरिक्त मद (Extra item) दर्शाकर ₹1320 प्रति वर्ग मीटर की दर से संविदाकार को भुगतान किया गया जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार ₹**46237** का संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिसे अनुबंध अनुसार वर्णित कार्यमद का ₹80 प्रति कि०ग्रा० की दर से संविदाकार को भुगतान करके बचाया जा सकता था I वैसे भी M.S.Sheet 1.67mm @13.1kg/Sqm की कोई मद हि०प्र० दर अनुसूची, 2009 में नहीं है तथा न ही इसे अतिरिक्त मद (Extra item) के रूप में कार्यन्वित करने का औचित्य, अनुमोदन व् दर विश्लेष्ण की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही उक्त को अतिरिक्त मद दर्शाकर संविदाकार को अ नाधिकृत रूप से भुगतान करके ₹**46237** का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है जोकि अनियमित होने के कारण एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जि सका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरांत अनियमित भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

ठेकेदार को वास्तविक भुगतान की राशी (रु० में)			**ठेकेदार को वास्तविक देय राशी (रु० में)**			**अधिक भुगतान (₹में)**
निष्पादित कार्य प्रमात्रा (वर्गमीटरमें)	**भुगतान दर प्रति वर्ग मीटर**	**भुगतान राशी**	**निष्पादित कार्य प्रमात्रा कि०ग्रा० में**	**अनुबंधित भुगतान दर प्रति कि०ग्रा०**	**देय भुगतान राशी**	
169.9895	1320	224386	169.99Sqmx13.1kg =2226.86kg	80	178149	46237

22 **कार्य का नाम:** C/o Path & providing stone pavers from ropeway via Dussehra ground to Sh. Hanuman ji Temple at Jakhoo, Shimla

संविदाकार का नाम: Sh.Santosh Jiwan Sharma

चलत बिल संख्या -:1st R/ Bill

माप पुस्तिका संख्या: Assessment Sheet no.93 dated 11.10.13(cash book Page-105)

(1) **संविदाकार को अनुबंधित दर की अपेक्षा उच्च दर से भुगतान करने के फलस्वरूप ₹1.23 लाख का अधिक भुगतान**

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि यह कार्य संविदाकार को आबंटन पत्र संख्या SML-SDM(U) Works(MPLAD)1/11-12-1567 दिनांक 18/23-0713 द्वारा कुल ₹794000 में आबंटित किया गया था **(परिशिष्ट-'झ")** जिसके अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तुत संशोधित/ negotiated दरों (1062021) से 25.24%कम दरों (1062021-794000/1062021x100)पर कार्य करना अनुबंधित हुआ था किन्तु निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान अनुबंधित दरों की अपेक्षा संशोधित/negotiated दरों अनुसार ही अनियमित रूप से किया गया जिसके कारण संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹**122993** का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा

अधिक भुगतान की राशि की संबंधित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

संशोधित/negotiated दरों अनुसार देय (₹₹)	**अनुबंधित दर अनुसार प्रीमियम (₹₹)**	**वास्तविकता में अनुबंधित दर पर** संविदाकार **को देय (₹₹)**	**वास्तविक भुगतान (₹₹)**	**अधिक भुगतान (₹₹)**
771780	(-)194773	577007	700000	**122993**

(2) निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार देय प्रतिभूति व् आयकर की कटौती न करके संविदाकार को ₹0.74 लाख का अवांछित लाभ पहुंचाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य बिलों का संविदाकार को भुगतान करते समय प्रतिभूति व् आयकर की कटौती नहीं की गयी थी जबकि नियमानुसार वर्णित कटौतियां की जानी अपेक्षित थी। अतः देय प्रतिभूति व् आयकर की कटौती न करके संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹**73578** का अवांछित लाभ पहुंचाया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में निर्माण कार्य बिलों का ठेकेदार को भुगतान करते समय वर्णित कटौतियां की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

निष्पादित कार्य (₹ में)	**प्रतिभूति कटौती की देय (₹ में)**	**आयकर कटौती की देय (₹ में)**	**कुल कटौती (₹ में)**
771780(1st R/ Bill)	200000@10%= 20000 300000@7.5%=22500 271780@5%= 13589 **Total = 56089**	Tax@2% = 15436 S/c@10% = 1544 E/.cess@3%= 509 **Total = 17489**	**73578**

23 **कार्य का नाम :** C/o Pantry & Hand wash near langar Hall at Sh. Hanuman ji Temple - Jakhoo,Shimla

संविदाकार का नाम: Sh.Santosh Jiwan Sharma

चलत बिल संख्या -:1st &Final Bill

माप पुस्तिका संख्या: Assessment Sheet no.229 dated 07.10.14(cash book Page-133)

(1) **संविदाकार को अनुबंधित दर की अपेक्षा उच्च दर से भुगतान करने के कारण ₹0.62 लाख का अधिक भुगतान**

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि यह कार्य संविदाकार को आबंटन पत्र संख्या SML-SDM(U)

Works(Temp.)2013, 1268-69 दिनांक 03-03-14 द्वारा कुल ₹524000 में आबंटित किया गया था **(परिशिष्ट-'त्र")** जिसके अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तुत संशोधित / negotiated दरों (594594) से 11.87% कम दरों (594594-524000/594594x100) पर कार्य करना अनुबंधित हुआ था किन्तु निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान अनुबंधित दरों की अपेक्षा संशोधित / negotiated दरों अनुसार ही अनियमित रूप से किया गया जिसके कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार **₹62199** का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

संशोधित/negotiated दरों अनुसार देय ₹	अनुबंधित दर अनुसार प्रीमियम ₹	वास्तविकता में अनुबंधित दर पर ठेकेदार को देय ₹	वास्तविक भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
524000	(-)62199	461801LessTDS 5240 =NettDue456561	518760	**62199**

(2) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व दर विश्लेष्ण अनुमोदित करवाए बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन करने पर संविदाकार को ₹4.49 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार कार्यन्वित कुल ₹449010 का अतिरिक्त कार्य मदों (**Extra item**) हेतु संविदाकार को भुगतान किया गया था किन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा निष्पादन हेतु अनुमोदित की गयी दर बारे कोई भी अभिलेख बार- 2 मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया , जिससे प्रतीत ।होता है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाकर संविदाकार को **₹449010** का अनधिकृत रूप से अनियमित भुगतान किया गया है जिसे या तो पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक	अतिरिक्त निर्माण कार्य मद का नाम	कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर ₹	कुल भुगतान ₹
1	EI/1 "P/F0.60mm thick pre-painted steel sheet in roofing with hot dipped metallic zink coated sheet etc."	273.0725 Sqm	980 per Sqm	267611
2	EI/2 "P/F valley 60cm overall 0.60mm thick pre-painted steel sheet in roofing with hot dipped metallic zink coated sheet etc."	129.60Rmt.	600 per Rmt.	77760
3	EI/3 M.S.Sheet 1.67mm thick @13.1kg/Sqm	78.5144Sqm	1320 per Sqm	103639
Total				**449010**

(3) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर संविदाकार को ₹6350 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्या: EI/2 "P/F valley 60cm overall 0.60mm thick pre-painted steel sheet in roofing with hot dipped metallic zink coated sheet etc." की कुल कार्य प्रमात्रा

129.60 मीटर का ₹600 प्रति मीटर की दर से संविदाकार को ₹77760 का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवम कार्यालय द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित है संविदाकार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था जोकि निम्नानुसार 551रु० प्रति मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण संविदाकार को **₹6350** {129.60Rmt.xRs.49(Rs.600-Rs.551)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरांत अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Rate as per HPSR 2009(Item code 1457000/ChapterXIV,P-203) =Rs.409.70perRmt.

Add Contractor"s Overall Premium 34.48% =Rs.141.30

Thus Rate of item due to be paid to Contactor =**Rs.551.00perRmt**.

(4) संविदाकार को निष्पादित कार्य प्रमात्रा का विस्तृत माप की अपेक्षा एकमुश्त अनुमानित कार्य प्रमात्रा लेकर ₹0.31 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ठेकेदार को निष्पादित कार्य प्रमात्रा का विस्तृत माप लिए बिना केवल एकमुश्त अनुमानित कार्य प्रमात्रा लेकर ही **₹30559** का भुगतान किया गया था जोकि एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि विस्तृत माप लिए बिना भुगतान की गई राशि का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट नहीं होता और इसी कारण इस भुगतान की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी :-

क्रमांक	**कार्य की मद संख्या व् विवरण**	**एक मुश्त कार्य प्रमात्रा**	**भुगतान दर(₹में)**	**कुल भुगतान (₹) में**
1	3.P/L cc 1:2:4 (a)footings,base of Columns	0.67CUM (1no.xL0.67)	4500 perCUM	3015
2	4.P/L mild/Tor steel reinforcement for RCC work upto floor two	393.49Kg (1no.xL3.93489xB100)	70per Kg	27544
			कुल जोड़	**30559**

उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए निष्पादित कार्य का विस्तृत माप लेकर इसे सक्षम तकनीकी अधिकारी से सत्यापित करवाकर उक्त भुगतान को नियमित करवाया जाये तथा अधिक भुगतान की स्थिति में राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। ।

24 **कार्य का नाम :** Providing painting, distempering, toilet repair, fixture opening of Office building at Sh. Hanuman ji Temple -Jakhoo, Shimla

संविदाकार का नाम: Sh.Santosh Jiwan Sharma

चलत बिल संख्या -:1st &Final Bill

माप पुस्तिका संख्या: Assessment Sheet no.228 dated 07.10.14(cash book Page-133)

(1) संविदाकार को अनुबंधित दर की अपेक्षा उच्च दर से भुगतान करने के कारण ₹1385 का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि यह कार्य संविदाकार को आबंटन पत्र संख्या: SML-SDM(U) Works (Temp.) 2014-15, 1568-69 दिनांक 07-07-14 द्वारा कुल ₹171000 में आबंटित किया गया था **(परिशिष्ट-'ट")** जिसके अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तुत संशोधित/ negotiated दरों (172389) से 0.81% कम दरों (172389-171000/172389x100) पर कार्य करना अनुबंधित हुआ था किन्तु निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान अनुबंधित दरों की अपेक्षा संशोधित / negotiated दरों अनुसार ही अनियमित रूप से किया गया जिसके कारण संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार **₹1385** का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

संशोधित/negotiated दरों अनुसार देय राशी (₹₹)	**अनुबंधित दर अनुसार प्रीमियम (₹₹)**	**वास्तविकता में अनुबंधित दर पर संविदाकार को देय (₹₹)**	**वास्तविक भुगतान (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
171000	(-)1385	169615Less TDS 1710 =NettDue167905	169290	**1385**

(2) संविदाकार को निर्माण कार्य मद की संशयपूर्ण परिमाप/गणना के कारण ₹4830 का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि कार्य मद सख्या: 4 "Painting (two coat)on new steel and other metal etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 128.80वर्ग मीटर का ₹75 प्रति वर्ग मीटर की दर से संविदाकार को ₹9660 का भुगतान किया गया था । इस कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दर्ज परिमाप में लम्बाई व् चौडाई के अतिरिक्त दो मीटर की ऊँचाई भी गणना में ली गयी थी जोकि उचित प्रतीत नहीं होती क्यूंकि वर्णित

कार्यमद की निष्पादित कार्य प्रमात्रा व् भुगतान दर वर्ग मीटर होने के कारण केवल लम्बाई व् चौडाई ही गणना में ली जानी थी न कि ऊँचाई भी । अतः माप की गलत व् संशयपूर्ण गणना की इस त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार 64.40 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का संविदाकार को ₹4830 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका पूर्ण छानबीन उपरांत या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली संबंधित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

गणना जिसका भुगतान किया गया	**सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था**	**अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा**	**दर प्रति वर्ग मीटर (₹में)**	**अधिक भुगतान (₹में)**
No. L B H Qty. 8 2.3 3.5 2=128.80Sqm	No. L B Qty. 8 2.3 3.5 =64.40Sqm	64.40Sqm	75	**4830**

(3) दर निविदा में एक निर्माण कार्य मद को दो बार शामिल करके संशयपूर्ण कार्यन्वयन के कारण संविदाकार को ₹0.29 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य मद ' finishing wall with water proofing cement paint of approved brand and manufacture and of required shade on undecorated wall surfaces(two coats) to give an even shade after thoroughly brushing the surface to remove all the dirt and remains of loose powdered' को दर निविदा(DNIT) में दो बार शामिल किया गया था प्रथमतः क्रम संख्या: 2 पर मूल रूप में तथा दूसरी बार पूर्ण मूल मद क्रम संख्या: 3 पर subsequent coat के रूप में जिसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता क्यूंकि यदि वास्तविकता में दो कोट के अतिरिक्त कोट का कार्य करवाना आवश्यक था तो हि०प्र० दर अनुसूची, 2009 के अनुसार पृथकता से पूर्ण मूल मद की अपेक्षा केवल उप कार्य मद(Sub-item) अतिरिक्त कोट "Extra over item no. 17176000 for every subsequent coat of water proofing cement paint of approved brand and manufacture"(Item code 17178000/ChapterXVII, P-260) के रूप में बनाई जानी चाहिए थी , जिसकी दर उक्त वर्णित अनुसूची अनुसार ₹13.25 प्रति वर्ग मीटर है जबकि मूल कार्यमद की दर ₹32.65 प्रति वर्ग मीटर है अर्थात लगभग अढाई गुना अधिक है। संविदाकार को दोनो कार्य मदों की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 382.56 वर्गमीटर प्रत्येक हेतु एक समान अनुबंधित दर ₹75 प्रति वर्गमीटर दर से ₹28692+₹28692=कुल ₹57384 का भुगतान किया गया था जोकि संशयपूर्ण प्रतीत होता है क्यूंकि प्रथमतः दो कोट के ऊपर अतिरिक्त दो कोट का कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। दो कोट के ऊपर अतिरिक्त कोट का कार्य करवाने की वास्तविकता में आवश्यकता थी तो भी हि०प्र० दर अनुसूची, 2009 अनुसार निम्न विवरण अनुसार भुगतान दर तय करके ठेकेदार को भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि ₹30 प्रति वर्ग मीटर {as per(B)below} बनता है तथा जिसके अनुसार भी संविदाकार को **₹17215**{382.56SqmxRs.45(Rs75-Rs.30)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

(A) अनुबंध की मूल कार्य मद संख्या: 2 'finishing wall with water proofing cement paint of approved brand and manufacture and of required shade on undecorated wall surfaces (two coats) to give an even shade after thoroughly brushing the surface to remove all the dirt and remains of loose powdered' का HPSR 2009 के अनुसार Rate (Item code 17176000/ChapterXVII, P-259) =Rs.32.65perSqm.

इस कार्य मद की संविदाकार से अनुबंधित दर =₹75 प्रति वर्ग मीटर

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

-32.65) x100 =**129.71% Above**

32.65

(B) निष्पादित कार्य मद "Extra over item no. 17176000 for every subsequent coat of water proofing cement paint of approved brand and manufacture " का HPSR 2009 के अनुसार Rate(Item code 17178000/ChapterXVII,P-260) =Rs.13.25perSqm.

ADD Similar item Premium 129.71% above as per (A) above= Rs.17.19

अतः Rate to be paid to Contactor =Rs.30.44say Rs.30perSqm.

अतः उपरोक्त सारे प्रकरण की विभागीय/तकनीकी स्तर पर विस्तृत जाँच की जाये तथा तदनुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाने के अतिरिक्त संविदाकार को हुई अधिक भुगतान की वसूली भी उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए न्यास निधि की भरपाई की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

25 **कार्य का नाम:** Providing various works at Sh. Hanuman ji Temple -Jakhoo, Shimla SH: P/F PVC sheet in window, local slate in verandah, M.S.sheet in old langar Hall, Graiting on Drain & Terracota apex on the path courtyard etc.

संविदाकार का नाम: Sh.Santosh Jiwan Sharma

चलत बिल संख्या:- 1st &Final Bill

माप पुस्तिका संख्या: Assessment Sheet no.256 dated 27.03.15(cash book Page-147)

(1) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व दर विश्लेष्ण अनुमोदित करवाए बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन करने पर संविदाकार को ₹0.24 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार निष्पादित कुल ₹24352 की अतिरिक्त कार्य मदों (**Extra item**) का संविदाकार को भुगतान किया गया था किन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा निष्पादन हेतु अनुमोदित की गयी दर बारे कोई भी अभिलेख बार-2 मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः संशय उत्पन्न होता है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही अतिरिक्त मद निष्पादित कर संविदाकार को **₹24352** का अनधिकृत रूप से अनियमित भुगतान किया गया है जिसे या तो पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक	अतिरिक्त निर्माण कार्य मद का नाम	कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹)	कुल भुगतान (₹)
1	EI/1 "Red/sand stone slab flooring 20-16mm(Avg.)thick base of cement mortar 1:4 laid over and jointed with grey cement slurry"	25.6336 Sqm	950 per Sqm	24352

26 **कार्य का नाम :** C/o Residential quarters Two rooms for employees/path/Kota stone near kitchen structures etc. at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo, Shimla

संविदाकार का नाम: Sh.Santosh Jiwan Sharma

चलत बिल संख्या:- 1st &Final Bill

माप पुस्तिका संख्या: Assessment Sheet no.240 dated 04.12.14(cash book Page-147)

(1) संविदाकार को निष्पादित कार्य प्रमात्रा का विस्तृत माप की अपेक्षा एकमुश्त अनुमानित कार्य प्रमात्रा लेकर ₹0.11 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार संविदाकार को निष्पादित कार्य प्रमात्रा का विस्तृत माप लिए बिना केवल एकमुश्त अनुमानित कार्य प्रमात्रा लेकर ही **₹11304** का भुगतान किया गया था जोकि एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि विस्तृत माप लिए बिना भुगतान की गई राशी का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट नहीं होता और इसी कारण इस भुगतान की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी :-

क्रमांक	कार्य की मद संख्या व् विवरण	एक मुश्त कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹)	कुल भुगतान राशी (₹)
1	5. Applying primary coat over new wood and wood based surfaces… Readymixed paint brushing wood priming pink	107.66sqm	30 per sqm	3230
2	6. Painting two coats (excluding primary coat) on new wood and wood based surfaces with enamel paint to give an even shade etc.	107.66sqm	75 per sqm	8074
कुल जोड़				**11304**

उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए निष्पादित कार्य का विस्तृत माप लेकर इसे सक्षम तकनीकी अधिकारी से सत्यापित करवाकर उक्त भुगतान को नियमित करवाया जाये तथा अधिक भुगतान की स्थिति में राशी की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

27 **सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व् व्यय स्वीकृति बिना ₹36.64 लाख के निर्माण कार्य का निष्पादन करना**

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 30(2) के अन्तर्गत सचिव(एल 0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.08 द्वारा राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने मुख्य आयुक्त(मन्दिर) की शक्तियाँ

हस्तांतरित करते हुए आयुक्त (मन्दिर) को केवल ₹10 लाख के निर्माण कार्यों को स्वीकृत/निष्पादित करने हेतु ही प्राधिकृत किया था किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में मुख्य आयुक्त(मन्दिर) की प्रशासनिक व् व्यय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी बल्कि आयुक्त(मन्दिर) द्वारा अपने स्तर पर ही कार्य स्वीकृत करके निष्पादित करवाए गये थे जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर अब इ से नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रमांक	**संविदाकार एवम कार्य का नाम**	**निर्माण कार्य की कुल भुगतान (₹)**
1	Sh.Santosh Jiwan Sharma Addition &Alteratin of Office building at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla	1713949
2	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Rooms (Two Stories) near kitchen at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla	1950000

28 आबंटित कार्य को वास्तविकता में पूर्ण किये बगैर पूर्ण दर्शाना तथा शेष कार्य को दोबारा टेंडर लगाकर उच्च दरों पर भुगतान करके ठेकेदार को ₹0.59 लाख का संभावित अनुचित लाभ पहुंचाना

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया था कि निर्माण कार्य "C/o Rooms (Two Stories) near kitchen at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla" श्री संतोष जीवन शर्मा , संविदाकार को पत्र संख्या :SML-SDM(U)Works(MPLAD)1/11-12 ,1571-72 दिनांक 18.07.13 द्वारा आबंटित किया गया था तथा निविदा अनुसार कुल 27 कार्य मदें निष्पादित की जानी थी किन्तु वास्तविकता में इसमें से केवल 11 कार्य मदें निष्पादित करवाकर वर्णित कार्य को पूर्ण दर्शाकर संविकार का अंतिम बिल पारित किया गया था तथा संशय है कि शेष कार्य मदें /अपूर्ण कार्य दोबारा पत्र संख्या :SML-SDM(U)(Temple)/2012, 1647 दिनांक 19.07.14 द्वारा आबंटित निर्माण कार्य "C/o Residential quarters Two rooms for employees/path/ kota stone near kitchen structures etc. at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla" में शामिल करके उच्च दरों पर निष्पादित करवाकर उसी संविदाकार को मन्दिर न्यास निधि से निम्न विवरण अनुसार **₹59484** का अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरांत अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मन्दिर न्यास निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रमांक	कार्यमद का नाम	कार्य प्रमात्रा	अनुबंधित दर (₹₹)	नई अनुबंधित दर (₹₹)	भुगतान दर में अंतर (₹₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	Half brick massonary in common burrunt clay building bricks in cm 1:4	100.9558 sqm	880per sqm	950 per sqm	70 per sqm	7067
2	15mm cement plaster in single coat on fair side of brick massonary in cm 1:4 etc.	775.5095 sqm	150per sqm	160 per sqm	10 per sqm	7755
3	Providing woodwork in frames of doors,windows etc. in 2nd class deodar wood	0.85748 cum	78000 per cum	82000 per cum	4000 per cum	3430
4	Applying primary coat over new wood and wood based surfaces with readymixed paint etc.	107.66 sqm	25 per sqm	30 per sqm	5 per sqm	538
5	Painting two coats (excluding prime coat) on new wood and wood based surfaces with enamel paint etc.	107.66 sqm	65 per sqm	75 per sqm	10 per sqm	1077
6	Providing and fixing aluminium tower bolt (barrel type)etc.-150x10mm	80 no.	100 each	150 each	50 each	4000
7	Providing and fixing aluminium handles anodized transparent or dyed etc.-100mm	44 no.	95 each	110 each	15 each	660
8	Providing and fixing anodized aluminium sliding door bolt etc.-200x16mm	7 no.	320 each	350 each	30 each	210
9	Provding and laying spartic ceramic tiles 8mm thick in flooring(300x300mm) etc in cm 1:3	92.5844 sqm	1160 per sqm	1450 per sqm	290 per sqm	26849
10	White/coloured glazed tiles 6mm thick in skirting risers of steps and dado 12mm thick in cm 1:3	27.2329 sqm	1160 per sqm	1450 per sqm	290 per sqm	7898
	कुल जोड़					**59484**

(ii) इसी प्रकार निम्न आबंटित निर्माण कार्य भी वास्तविकता में पूर्ण किये बगैर पूर्ण दर्शाकर संविदाकार के अंतिम बिल पारित किए गए थे तथा संशय है कि शेष कार्य मदें/ नए सिरे से अपूर्ण कार्य पुनः न उच्च दरों आबंटित करके संविदाकार को मन्दिर न्यास निधि से अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिसकी विभागीय स्तर पर पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति का पता लगाया जाये तथा इन प्रकरणों में भी यदि उक्त **(i)** में वर्णित अनियमितता पाई जाये तो यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई अम्ल में लाते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

	संविदाकार एवम कार्य का नाम	**आबंटित निर्माण कार्य की कुल कार्य मदें**	**आबंटित निर्माण कार्य की कुल निष्पादित कार्य मदें**	**निष्पादित कार्य मदों का प्रतिशत**
1	Sh.Santosh Jiwan Sharma Addition &Alteratin of Office building at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla	20	10	50%
2	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Residential quarters Two rooms for	23	13	62%

	employees/path/ kota stone near kitchen structures etc. at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla			
3	Sh.Krishan Chand Providing M.S.Sheets in the Gables of roof trusses of passage at Sh. Hanuman ji Temple Complex-Jakhoo,Shimla	2	1	50%
4	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/o Pantry & Hand wash near langar Hall at Sh. Hanuman ji Temple -Jakhoo,Shimla	21	5	24%
5	Sh.Santosh Jiwan Sharma Providing painting, distempering, toilet repair, fixture opening of Office building at Sh. Hanuman ji Temple -Jakhoo,Shimla	38	34	89%

29 मंदिर न्यास द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु सुलभ अन्तराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संस्था (संगठन) से किए अनुबंध की राशि में 100% असाधारण बृद्धि प्रदान करने सम्बन्धी अनियमितता

अंकेक्षण को सफाई व्यवस्था अनुबंध से संबन्धित प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि श्री हनुमान जी मंदिर न्यास जाखू में सफाई व्यवस्था हेतु Sulabh International Social Services Organisation से अनुबंध प्रथम बार दिनाँक 05.11.04 को एक वर्ष की अवधि 13.10.04 से 12.10.05 तक के लिए ₹2500 प्रतिमाह की दर से किया गया । उपरोक्त अनुबंध को अनुबन्धित शर्तो के आधार पर दिनाँक 12.10.10 तक वार्षिक नवीनीकरण किया जाता रहा तथा दिनांक 01.01.11 से Sulabh International Social Services Organisation से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अनुबंध का नवीनीकरण ₹5000 प्रतिमाह की दर से किया गया तथा तदोपरांत दिनाँक 01.06.14 से पुनः अनुबंध का नवीनीकरण वर्णित संगठन से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ₹10000 प्रतिमाह की दर से अर्थात अनुबंध राशि में 100% असाधारण बृद्धि प्रदान की गयी थी जोकि निम्न कारणों से अनियमित प्रतीत होती है:-

1. अनुबंध नवीनीकरण करने पर अनुबंध राशी में 1 00% वृद्धि प्रदान करने से सम्बन्धित अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

2. अनुबंध नवीनीकरण से पूर्व सफाई सेवाओं को Outsource करने हेतु नियमानुसार न तो कोई विभागीय प्राकलन/औचित्य तैयार/अनुमोदित ही किये गये थे और न ही प्रतिस्पर्धात्मक दरें आमंत्रित करने सम्बन्धी मूल औपचारिकताएँ (Codal formalities) ही पूर्ण की गई थी जिसके आभाव में प्रदान की गयी अनुबंध राशी में 1 00% असाधारण वृद्धि का औचितय अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं हो सका। ।

अतः उक्त अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा वर्णित अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई अब पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

30 न्यास द्वारा विभागीय स्तर पर मस्ट्रोल के माध्यम से करवाए गए ₹1.63 लाख के निर्माण /मुरम्मत कार्यो का औचित्य स्पष्ट न करना

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा , निम्न विवरण अनुसार, विभिन्न निर्माण /मुरम्मत कार्यो को विभागीय स्तर पर मस्ट्रोल द्वारा करवाया गया था। जिनके भुगतान/व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः-

1 निष्पादित निर्माण /मुरम्मत कार्यो के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कोई प्रांकलन तैयार एवम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे;

2 मस्ट्रोल के माध्यम से निष्पादित निर्माण /मुरम्मत कार्यो के मूल्य का आंकलन/औचित्य तैयार नहीं किए गए थे जिसके अभाव में मस्ट्रोल द्वारा किए गए भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी कि मजदूरी का भुगतान निष्पादित निर्माण /मुरम्मत कार्यो के मूल्य से अधिक नहीं था ;

3 निष्पादित निर्माण /मुरम्मत कार्यो हेतु विभागीय स्तर पर जारी की गई निर्माण सामग्री की कोई खपत विवरणी तैयार एवम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी जिसके अभाव में भंडार से जारी की गई सामग्री की खपत की औचित्यता/सत्यापना अंकेक्षण में स्पष्ट/सम्भव न हो सकी।

अतः अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई अब पूर्ण करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रमांक	**मस्ट्रोल अवधि/ देय माह**	**कार्य का विवरण**	**कुल भुगतान राशि (₹₹)**
1	11.09.13 से 12.10.13 तक (देय माह 10/13)	मंदिर व मंदिर परिसर में रंग रोगन का कार्य	60979
2	25.08.14 से 30.9.14 तक (देय माह 10/14)	मंदिर व मंदिर परिसर में रंग रोगन का कार्य	83700
3	01.03.15 से 25.03.15 तक (देय माह 4/15)	मंदिर परिसर में छुटपुट कार्य करवाने हेतु	10030
4	18.03.15 से 11.04.15 तक (देय माह 4/15)	मंदिर परिसर में सफाई व्यवस्था व अन्य कार्यो	8330

		हेतु	
		कुल योग	**163039**

31 दान में प्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति रसीदें जारी न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा दान में प्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति रसीदें जारी नहीं की जा रही थी बल्कि वर्णित वस्तुओं को सीधे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। दान में प्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति रसीदें जारी न करना एक गंभीर अनियमितता है और रसीदों के बिना स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्राप्त वस्तुओं की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी।। यह अनियमितता गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या :21 द्वारा भी उल्लेखित की गयी थी किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अम्ल में न लाना एक गंभीर चिंता का विषय है । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

32 भंडार वस्तुओं, भंडारा सम्बन्धी खाद्य सामग्री , पूजन सम्बन्धी सामग्री तथा निर्माण/मुरम्मत सामग्री इत्यादि की खरीद में पाई गई मुख्य अनियमितताएँ

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा क्रय की गई भंडार वस्तुओं , भंडारा खाद्य सामग्री , पूजन सामग्री तथा निर्माण /मुरम्मत सामग्री के अधिकांश प्रकरणों,जिनमे से उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्न प्रस्तुत हैं, में मुख्यतः निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :-

1. नियमानुसार वस्तुओं/ सामाग्री को क्रय/आपूर्ति हेतु विहित प्रक्रिया न अपनाना अर्थात नियमानुसार न तो कोई विभागीय प्राकलन/औचित्य तैयार/अनुमोदित ही किये गये थे और न ही प्रतिस्पर्धात्मक दरें आमंत्रित करने सम्बन्धी मूल औपचारिकताएँ (Codal formalities) ही पूर्ण की गई थी।

2. आपूर्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे तथा सक्षम अधिकारी द्वारा खरीद की गई वस्तुओं की मात्रा, क्वालिटी तथा स्टॉक प्रविष्टियों व् प्राप्त मदोंकी गुणवत्ता का सत्यापन किए बिना ही बिलों का भुगतान किया गया था;

3. स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों /जारी किए स्टॉक प्रविष्टियों को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था; तथा

4. क्रय की गयी सभी भंडार वस्तुओं को जिस दिन स्टॉक रजिस्टर में प्राप्ति प्रविष्टि की जाती है उसी दिन स्टॉक से जारी किया गया दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार आवश्यकता के अनुरूप ही भंडार से वस्तुएं जारी की जानी अपेक्षित है ताकि भंडार वस्तुओं का उचित उपयोग सुनिश्चित हो तथा किसी दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी बचा जा सके:-

क्रमांक	विवरण	फर्म का नाम व् विवरण /रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	चैक संख्या / दिनांक	भुगतान राशि(₹)	टिप्पणी
1	स्मृति चिन्ह का क्रय	मै。 Shreem Swarnam Design Concepts Pvt。 Ltd。 Saproon ,Solan(through Sh。 Harjeet Kumar Manga,Trustee) (132)	039141/ 9.10.14	16862	Sh。 Harjeet Kumar Manga, Trustee द्वारा प्रथमतः अपनी जेब से खर्च किए गये
2	स्मृति चिन्ह का क्रय	मै。 S.M. Trading Co. Delhi-6 (through Sh。 Harjeet Kumar Manga,Trustee) (132)	039141/ 9.10.14	18000	--यथोपरी --
3	मंदिर हेतु सोफा,कुर्सी तथा टेबल कवर का क्रय	मै。 Shimla Gramudyog Shagti Shimla-6, बिल संख्या: 765 दिनांक 02.10.14(132)	039142/ 9.10.14	18033	
4	दशहरा उत्सव पर विशिष्ट अतिथियों के सम्मान हेतु सामान	मै。 Bhutti Weavers Co-op Society Ltd. बिल संख्या: 9574 दिनांक 02.10.14(132)	039144/ 9.10.14	4450	
5	दशहरा उत्सव में रावण,कुंभकर्ण आदि के पुतलों को बाधने हेतु रस्से	मै。 कृष्णा लोहा भंडार,लोअर बाज़ार, शिमला -1 बिल संख्या: 8626 दिनांक 06.10.14(132)	039145/ 9.10.14	4460	
6	दशहरा उत्सव में रामदरवार लगाने हेतु सामान	मै。 Happy Brothers, दी मॉल शिमला- 1,बिल संख्या: 2219 दिनांक 12.10.13(106)	067667/ 23.10.13	13005	

अतः उक्त अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए और भविष्य में नियमानुसार मूल औपचारिकताओं एवम विहित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही वस्तुओं का क्रय व् सामाग्री की आपूर्ति का सत्यापन एवम तदोपरांत भुगतान किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 चल सम्पति /भण्डार में वस्तुओं के शेष का वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual physical verification) न करना

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध भण्डार रजिस्टरों एवम सम्बन्धित सूचना के अवलोकन करने पर पाया गया कि वितीय वर्ष के अंत में भण्डार में शेष वस्तुओं/चल सम्पति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual physical verification) नहीं किया जा रहा

था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि वर्णित सत्यापन न करने के परिणाम स्वरूप भण्डार में शेष कीमती वस्तुओं के दुरूपयोग होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्राप्ति /खपत की अधिकतम प्रविष्टियां भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। पूर्व अंकेक्षण अवधि 0 1/2011 से 12/2015 के पैरा संख्या 20 द्वारा भी उक्त अनियमितता के समाधान बारे परामर्श दिया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस पर गौर ही नहीं किया गया था । ऐसी स्थिति में यह मामला मुख्य आयुक्त मन्दिर के ध्यान में हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या : फिन (एल० ए०) सी (15)(14)88/84खंड-2,दिनांक 17.09.2008 के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन(Annual physical verification) सुनिश्चित करवाने हेतु लाया जाता है।

34 स्टॉक से जारी सीमेंट व स्टील की खपत/उपभोग विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाए गए सीमेंट व स्टील के भण्डार रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि 1/2013 से 12/2015 तक में निम्न विवरण अनुसार भण्डार से विभागीय कार्य हेतु कुल 549 बैग सीमेंट व 5788.90कि०ग्रा० स्टील की मात्रा जारी की गयी थी किन्तु इसकी खपत/ उपभोग विवरणी व् अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आभाव में जारी की गयी वर्णित वस्तुओं की मात्रा की औचित्यता व वास्तविक खपत की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी । अत :सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित वर्णित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम संख्या	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या**	**जारी की गई वस्तु का विवरण**	**जारी करने की तिथि**	**जारी की गई मात्रा**
1	53	सीमेंट	07.01.14	30bags
2	53	सीमेंट	04.09.15	276bags
3	53	सीमेंट	07.10.15	138 bags
4	53	सीमेंट	20.11.15	55 bags
5	54	सीमेंट	24.10.15	25 bags
6	54	सीमेंट	09.10.15	25 bags
	(क)कुल जारी सीमेंट की मात्रा			**549 bags**
1	60	Chnnel100x50mm	03.09.14	1002.20kg
2	60	Angle40x5mm	03.10.15	718.20kg

3	61	Angle40x5mm	17.10.15	505.60kg
4	61	Angle40x5mm	19.10.15	293.40kg
5	57	Sq. Bar 12mm	03.10.15	381.80kg
6	57	Sq. Bar 12mm	17.10.15	311.60kg
7	57	Sq. Bar 12mm	19.10.15	308.60kg
8	63	Roofing sheets	09.09.14	2267.50kg
		(ख)कुल जारी स्टील की मात्रा		**5788.90kg**

35 अन्य अनियमितताएं

चयनित माह के व्यय एवम भुगतान वाउचरों तथा स्टोर व् स्टॉक के लेखों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित विविध अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः-

(**क)** स्थापना चैक रजिस्टर (ECR) का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसका रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।

(**ख)** न्यास द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में वार्षिक बजट न तो तैयार किया गया था और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया जोकि गंभीर अनियमितता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या :22(i) द्वारा भी वर्णित अनियमितता उल्लेखित करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में न लाना एक गंभीर चिंता का विषय है । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) न्यास द्वारा अचल सम्पति के रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार इसका रख-रखाव किया जाना आवश्यक है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या:22(iii) द्वारा भी वर्णित अनियमितता उल्लेखित करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अम्ल में न लाना एक गंभीर चिंता का विषय है। वर्णित अभिलेख के आभाव में अचल सम्पति की वास्तविक स्थिति अंकेक्षण में स्पष्ट न हो सकी अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा

(घ) कर्मचारियों के सेवा अभिलेख का नियमानुसार अपेक्षित अनुरक्षण न करना ।

36 लघु आपत्ति विवरणिका:-सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी ।

37 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय-2 पर अध्यतन (Updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरंत कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है ताकि मन्दिर निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सके ।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 209/2000—खण्ड—**पार्ट**—3—035—38 दिनाँकः 03.01. 2017 शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यासश श्री हनुमान मन्दिर जाखू, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 उपायुक्त शिमला, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
3 अतिरिक्त मुख्य सचिव, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2
4 निदेशक, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171009

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट 'क"

(पैरा संख्या:1(iv) में सन्दर्भित)

क्रम संख्यां	पैरा संख्यां	टिप्पणी
(क)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/84 से 3/97 तक		
वर्णित अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यह अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसे निरस्त किया गया है।		
(ख)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000 तक		

1.	**5**	अर्निणित
2.	**6**	अंकेक्षण अनुसार राशि की वसूली करने पर निर्णीत
3.	**7**	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थिति अद्यतन करने पर निर्णीत
4.	**8**	प्रस्तुत औचित्य अनुसार पुनरावलोकन करने पर निर्णीत
5.	**9**	अनिर्णीत
6.	**10**	अनिर्णीत
7.	**11**	अनिर्णीत
8.	**12**	अनिर्णीत
9.	**13**	अनिर्णीत
10.	**14**	अंकेक्षण अनुसार राशि की वसूली करने पर निर्णीत
11.	**15**	अंकेक्षण अनुसार राशि की वसूली करने पर निर्णीत
12.	**16**	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
13.	**17**	अनिर्णीत
14.	**18**	अनिर्णीत
15.	**19**	अनिर्णीत
16.	**20**	अनिर्णीत
17.	**21**	अनिर्णीत
18.	**22**	अनिर्णीत
19.	**23**	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत
20.	**24**	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई का अवलोकन करने पर निर्णीत
21.	**25**	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर निर्णीत
22.	**26**	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई का अवलोकन व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थिति अध्यतन करने पर निर्णीत
(ग)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2003 तक		
1	6	अनिर्णीत
2	7	अनिर्णीत
3	10	अनिर्णीत
4	11	अनिर्णीत
5	12	अनिर्णीत
6	13	अनिर्णीत
7	14	अनिर्णीत

8	20	अनिर्णीत
9	21	अनिर्णीत
10	22	अनिर्णीत
11	23	अनिर्णीत
(घ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2010 तक		
1	5	अनिर्णीत
2	9	अनिर्णीत
3	10 (क) (ख)	अनिर्णीत
4	13(क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
5	15	अनिर्णीत
(ड०)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2012 तक		
1	3	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत
2	4(क) (ख) व (ग)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अध्यतन अतः निर्णीत
3	4(घ)	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
4	5(क)	अनिर्णीत
5	5(ख)	प्रस्तुत औचित्य अनुसार पुनरावलोकन व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर निर्णीत
6	6	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
7	7	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत
8	8(क)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत
9	8(ख)	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
10	8(ग)	प्रस्तुत औचित्य अनुसार पुनरावलोकन करने पर निर्णीत
11	9	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत
12	10	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
13	11	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
14	12	अनिर्णीत
15	13	अनिर्णीत
16	14	अनिर्णीत
17	15	अनिर्णीत
18	16	अनिर्णीत
19	17	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
20	18	अनिर्णीत
21	19	अंकेक्षण अनुसार राशी की वसूली करने पर निर्णीत
22	20	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत

23	21	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत
24	22(i)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत
25	22(ii)	अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
26	22(iii)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन अतः निर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	64
वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित पैरों की संख्या	(+)32
योग	96
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	29
31.12.2015 तक अन्तिम शेष	67